SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
RAILWAY RECRUITMENT CELL
BILASPUR (CG)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आर.टी.एस.कॉलोनी, बिलासपुर (छ.ग.) 495004
HEADQUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, RAILWAY RECRUITMENT CELL, R.T.S. COLONY, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/आरआरसी/798/स्पोर्ट कोटा2019-2020/ 518 दिनांक : 14.12.2019.

अधिसूचना

विषय : 2019-2020 के लिए खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती (खुला विज्ञापन)

अंतिम तिथि 13.01.2020 (सोमवार)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे **द्वारा** पे मैट्रिक्स लेवल – 2 या 3, पे मैट्रिक्स लेवल-4 और पे मैट्रिक्स लेवल - 5 में निम्नलिखित खेलकूद विधाओं के अंतर्गत पात्र खिलाड़ियों से **ऑनलाईन** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. विधाएं :

क्र.	खेल	ग्रुप 'सी' (पे बेंड `. 5200-20200/-)		
		पे मैट्रिक्स लेवल -4/5; 7 वे. सी.पी.सी. (ग्रेड पे-2400/2800/-; 6वें. सीपीसी)	पे मैट्रिक्स लेवल -2/3; 7 वे. सी.पी.सी. (ग्रेड पे-1900/-/2000/-; 6वें. सीपीसी)	पदों की संख्या
		खेल का विवरण	खेल का विवरण	
1	एथलेटिक्स (पु)	-	400 मीटर	1
2	एथलेटिक्स (म)	-		1
3	बैडमिंटन (पु)	-	सिंगल	2
4	बैडमिंटन (म)	-	सिंगल	2
5	बास्केट बाल (पु)	-	फारर्वड	1
6		-	पोस्ट	1
7	बास्केट बाल (म)	फारर्वड	-	1
8			पोस्ट	1
9	बाक्सिंग (म)	51 कि.ग्रा.	-	1
10		60 कि.ग्रा.	-	1
11		64 कि.ग्रा.	-	1

12	क्रिकेट (पु)	-	विकेट कीपर	1
13		-	बैट्समैन	1
14		-	स्पीनर	1
15		-	ऑल राउंडर	1
16	हेंडबाल (म)	गोल कीपर	-	1
17		सेंटर बैक	-	1
18		-	राईट बैक	1
19	हॉकी (पु)	-	गोल कीपर	1
20		-	डिफेंस	1
21		-	मिडफिल्डर	1
22	कबड्डी (पु)	-	राइट कार्नर ऑल राउंडर	1
23	खो-खो (पु)	-	डिफेंडर	1
24	वॉली बाल (पु)	-	सेंटर ब्लॉकर	1
			कुल	26

* भारत बास्केट बॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित 26.07.2017 के बाद खेलकूद स्पद्धाओं पर ही भर्ती हेतु विचार किया जाएगा।

** **बॉक्सिंग के लिए :** भारतीय एमेचर मुक्केबाजी संघ या इसके किसी सहायक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्राप्त खेल उपलब्धियों को भर्ती उद्देश्य हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा.*

2) योग्यता मानदंड

2.1) आयु सीमा (दिनांक 01-01-2020 को): 18 से 25 वर्ष

2.2) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : -

क्र सं	पे–लेवल	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1.	लेवल–2 एवं 3	10 + 2 (गैर तकनीकी पदों हेतु) 10वीं एवं आई टी आई (तकनीकी पदों हेतु) हालॉकि सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य हैं परन्तु उनका प्रशिक्षण अवधि नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
2.	लेवल–4	स्नातक या समकक्ष या 12वीं भौतिकी व गणित में या 12वीं आशुलिपि के साथ(रेलवे में भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार

<table>
<tr><td></td><td></td><td>हिंदी या अंग्रेजी में।
<table>
<tr><td>आशुलिपि</td><td>गति शब्द प्रति मिनट</td><td>अवधि(मिनट)</td><td>लिप्यांतरण (मिनट)</td></tr>
<tr><td>अंग्रेजी</td><td>80</td><td>10</td><td>50</td></tr>
<tr><td>हिन्दी</td><td>80</td><td>10</td><td>65</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>लेवल–5</td><td>स्नातक या समकक्ष</td></tr>
</table>

नोटः(i) अर्हक शैक्षणिक योग्यता एवं खेलकूद स्पर्द्धाएं से संबंधित प्रमाणपत्र अधिसूचना की तिथि तक होना अनिवार्य है।

(ii) उपरोक्त वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में किसी भी प्रकार कोई छूट मान्य नहीं है.

(iii) व्यक्तियों, यदि क्लर्क-कम-टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें नियुक्ति की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग करने में दक्षता हासिल करनी होगी । तब तक उस कोटि के लिए उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी.

(iv) चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव के समय पोस्टिंग का स्थान निर्धारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा किया जाएगा.

3. भर्ती हेतु खेल का मापदंड :–

3.1 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का वर्गीकरण : -

कोटि – ए :	ओलंपिक खेल (सीनियर वर्ग).
कोटि – बी :	विश्व कप (जूनियर / युवा / सीनियर वर्ग), विश्व चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर वर्ग), एशियाई खेल (सीनियर वर्ग), राष्ट्रमंडल खेल (सीनियर वर्ग), यूथ ओलंपिक, चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी), थॉमस कप / उबेर कप.
कोटि – सी :	कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप (जूनियर / सीनियर कैटेगरी), एशियन चैंपियनशिप / एशिया कप (जूनियर / सीनियर कैटेगरी), साउथ एशियन फेडरेशन (एसएएफ) गेम्स (सीनियर कैटेगरी), यूएसआईसी (वर्ल्ड रेलवे) चैंपियनशिप (सीनियर कैटेगरी), वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स.

3.2. विभिन्न ग्रेड पे और पे बैंड में खुली विज्ञापन के माध्यम से खेल कोटा के अंतर्गत खिलाड़ियों के भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मापदंड, टीम और व्यक्तिगत दोनों विधाओं के लिए निम्नानुसार होंगे :

क्र.	पे–लेवल	भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मापदंड
1	लेवल - 4 एवं 5.	ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो (श्रेणी-ए) या किसी भी श्रेणी-बी चैंपियनशिप / खेल में कम से कम तीसरा स्थान, जैसा कि **उपरोक्त बिन्दु** 3.1 में वर्गीकृत किया गया है.

2	लेवल - 2 एवं 3.	किसी श्रेणी-बी चैंपियनशिप / खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो **या** श्रेणी-सी चैंपियनशिप / खेलों में से किसी में कम से कम 3 स्थान **या** सीनियर / यूथ / जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कम से कम 3 स्थान **या** भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान **या** एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के तत्वावधान में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में कम से कम 3 स्थान **या** फेडरेशन कप चैंपियनशिप में पहला स्थान (सीनियर वर्ग) प्राप्त किया हो.

कुछ खेलों के लिए अतिरिक्त स्वीकार्य खेल उपलब्धियां / न्यूनतम खेल मानदंड :

3.3 एथलेटिक्स में :

सिर्फ लेबल 2 के पदों पर भर्ती हेतु :

राष्ट्रीय/ अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीत प्रदर्शन पर भी लेबल 2 या 3 के पदों पर भर्ती हेतु विचार किया जा सकता है.

लेबल 4 या 5 के पदों पर भर्ती हेतु :

ओपन नेशनल चैंपियनशिप (सीनियर), अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप (सीनियर) तथा एशियन चैंपियनशिप (सीनियर) में स्वर्ण पदक विजेताओं पर विचार किया जा सकता है.

3.4 बैडमिंटन में :

निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर खिलाड़ियों के वर्तमान वार्षिक ऑल इंडिया रैंकिंग के आधार पर भी उनकी भर्ती पर विचार किया जा सकता है :

पे स्केल	भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मानदंड		
	आयु श्रेणी	इवेंट	वर्तमान वार्षिक अखिल भारतीय रैंकिंग
लेबल 2 एवं 3	सीनियर	सिंगल	20वें स्थान तक
	यूथ	सिंगल	6ठे स्थान तक
	जूनियर	सिंगल	6ठे स्थान तक

नोट– इस हेतु केवल वर्तमान वार्षिक अखिल भारतीय रैंकिंग पर ही विचार किया जाएगा।

बैडमिंटन में, निम्नलिखित **वर्ल्ड रैंकिंग** उनके सामने उल्लिखित लेबल के लिए मान्य होंगे :

पे–लेवल	आयु कोटि	इवेंट	वर्तमान वार्षिक वर्ल्ड रैंकिंग
लेवल 2 एवं 3	सीनियर	सिंगल	70वें स्थान तक
	जूनियर	सिंगल	50वें स्थान तक.

3.5 क्रिकेट में :

पुरूष क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, किसी टेस्ट मैच या सीमित ओवर के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच या टी - 20 अंतरराष्ट्रीय मैच में प्रमुख भारतीय सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व करने वालों को पे लेबल 2 या 3 के पदों पर भर्ती किये जाने पर विचार किया जाएगा.

राष्ट्रीय स्तर पर, बीसीसीआई के तत्वावधान में आयोजित मेंस क्रिकेट चैम्पियनशिप (विज्जी ट्रॉफी को छोड़कर) में 4 दिवसीय/ एकदिवसीय सीमित ओवर/ टी - 20 क्रिकेट में निम्नलिखित उपलब्धियों पर भी लेबल 2 या 3 के पदों पर भर्ती किये जाने पर विचार किया जाएगा.

अथवा

(क) अखिल भारतीय अन्तराज्यीय एलिट समूह चैम्पियनशिप एवं अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैम्पियनशिप के सिनियर अंडर–23 / अंडर–19 का क्वाटर फाईनालिस्ट। या,

(ख) अखिल भारतीय सिनियर अंतर जोनल चैम्पियनशिप अंडर–23 / अंडर–19 में भाग लिया हो

3.6 हॉकी में :

हॉकी (पुरूष) में चार या उससे अधिक देशों के साथ अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेंट (सीनियर अथवा जूनियर) में भाग लेने वालों को पे मैट्रिक्स लेबल 2 या 3 के पदों पर भर्ती किए जाने पर विचार किया जायेगा. हॉकी (पुरूष) में, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप के सेमीफाइनलिस्ट को भी पे मैट्रिक्स लेबल 2 या 3 में भर्ती हेतु विचार किया जाएगा.

नोट : *(i) उपर्युक्त सभी चैम्पियनशिप मान्यता-प्राप्त अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/खेल संघ और साथ ही, रेलवे स्पोर्टस प्रमोशन बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित होना चाहिए.*

(ii) भर्ती न्यूनतम वेतनमान के लिए होगी.

(iii) जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में खेल उपलब्धियों के आधार पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए केवल नीचे दिए गए आयु वर्ग पर ही विचार किया जाएगा.

भारतीय रेलवे में स्पोर्टस कोटा से खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरएसपीबी द्वारा मान्यता-प्राप्त जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप की सूची :

क्र.	खेल	श्रेणी	मान्यता-प्राप्त जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का विवरण	
			आयु वर्ग	चैम्पियनशिप का नाम
1	एथलेटिक्स	पुरूष	अंडर-20	जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप.
		महिला	अंडर -20	
2	बैडमिंटन	पुरूष	अंडर -19	जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप

05/07/19

3	बास्केटबाल	पुरूष	अंडर -18	जूनियर नेशनल बास्केटबाल चैम्पियनशिप
4	क्रिकेट	पुरूष	अंडर -23	कर्नल सी. के. नायडू ट्रॉफी (अंतर्राज्यीय चैम्पियनशिप)
			अंडर -19	कूच बिहार ट्रॉफी (अंतर्राज्यीय चैम्पियनशिप)
			अंडर -19	वीनू मांकड ट्रॉफी (एकदिवसीय सीमित ओवर अंतर्राज्यीय चैम्पियनशिप)
5	हॉकी	पुरूष	अंडर -21	जूनियर(अंडर -21) नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप
6	कबड्डी	पुरूष	अंडर -19	जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप
7	खो-खो	पुरूष	अंडर -19	जूनियर नेशनल खो-खो चैम्पियनशिप
8	वालीबाल	पुरूष	अंडर -19	जूनियर नेशनल वालीबाल चैम्पियनशिप

Note: *(i) पात्रता पर विचार करने के लिए वर्तमान एवं पिछले दो वित्तीय वर्षों की खेल उपलब्धियों को लिया जाएगा. इस प्रकार केवल 2017-2018 या उसके बाद की तारीख की खेल उपलब्धियों पर ही विचार किया जाएगा.*

*(ii) उम्मीदवारों को संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ, भारतीय ओलंपिक एशोसिएशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो यह दर्शाता हो कि उम्मीदवार ने वास्तव में मैदान में भाग लिया है, प्रस्तुत करना **अनिवार्य** होगा.*

(iii) जिन खिलाड़ियों ने वास्तव में मैदान में भाग नहीं लिया है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा.

4. चयन पद्धति:

(i) चयन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा. अंकों का वितरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक
ए.	खेल कौशल, शारीरिक दक्षता और परीक्षण के दौरान कोच के अवलोकन के लिए	40 अंक
बी.	मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियां के आकलन के लिए	50 अंक
सी.	शैक्षणिक योग्यता	10 अंक
	कुल	**100 अंक**

(ii) उम्मीदवारों के खेल प्रदर्शन और रेलवे/ यूनिट टीम के साथ-साथ भारतीय रेलवे की टीम के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए उम्मीदवारों का परीक्षण (ट्रायल्स) किया जाएगा. अगले चरण हेतु विचार करने के लिए ट्रायल कमिटि उम्मीदवारों के **फिट** या **नॉट फिट** के संदर्भ में अपनी सिफारिश देगी.

(iii) चयन प्रक्रिया

इसमें चयन खेल ट्रायल्स में किये गये प्रदर्शन एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर किया जाएगा तथा इसे नामित चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा. ट्रॉयल्स एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान व तिथि उम्मीदवारों को वेबसाईट के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय–समय पर वेबसाइट को देखते रहें। विभिन्न पे लेवल के लिए ट्रॉयल्स अलग–अलग किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण का उल्लेख करते हुए निरस्त अथवा संशोधित करने का अधिकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के पास सुरक्षित है .

5. परीक्षा शुल्क :

i) रू. 500 (पाँच सौ मात्र) सभी उम्मीदवारों के लिए (शुल्क में छुट पाने वाले को छोड़कर)। वैसे उम्मीदवार जो ट्रायल्स में भाग लेंगे उनको बैंक शुल्क काटकर रूपया 400 वापस कर दिया जाएगा।

ii) रू. 250 (दो सौ पचास मात्र):– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं, अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। वैसे उम्मीदवार जो ट्रायल्स में भाग लेंगे उनको बैंक शुल्क काटकर पूरा रकम वापस कर दिया जाएगा।

6. सामान्य शर्तें (उपरोक्त वर्णित शर्तों के अलावा) :

(i) यदि लेवल–4 और लेवल 5 के लिए कोई भी आवेदक उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो लेवल–2 और लेवल–3 हेतु आवेदित आवेदकों को इन पदों के विरूद्ध विचार किया जा सकता है, परन्तु उन्हें लेवल–2 और लेवल–3 में ही भर्ती किया जाएगा।

(ii) एक से अधिक खेल/स्पर्द्धा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के साथ तथा प्रत्येक खेल स्पर्द्धा के लिए अलग दस्तावेजों के साथ अलग–अलग पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं।

(iii) नियुक्ति के लिए पद पर अनुशंसित किए गए खिलाड़ियों को, जिस पद के लिए उन्हें अनुशंसित किया गया है उस पद के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षण पास करना अनिवार्य है।

(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को ट्रॉयल्स पर बुलाने के लिए द्वितीय श्रेणी का नि:शुल्क यात्रा प्राधिकार दिया जाएगा.

(v) चयन एवं ट्रायल्स में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता, रहने की सुविधा आदि मुहैया नहीं कराया जाएगा. उम्मीदवार को चाहिए कि वे ट्रायल स्थान में 2-3 दिन ठहरने के हिसाब से तैयार रहें . वे अपने स्वयं की स्पोटर्स सामग्री/उपकरण एवं ठहरने की सुविधा स्वयं करेंगे .

(vi) अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अल्पसूचना पर ट्रायल आदि में बुलाया जा सकता है जिसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा।

(vii) कोई भी पद विशेष रूप से किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है।

(viii) अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म है।

(ix) सभी प्रकार का मान्यता प्राप्त खेल स्पर्द्धाएं वर्तमान और/या पूर्व दो वित्तीय वर्षों का होना आवश्यक है। खिलाड़ी को सक्रिय खिलाड़ी होना चाहिए। इससे संबंधित सभी प्रकार के कागजात ट्रायल के समय एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(x) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भी मापदंड को पूरा नहीं करने पर आवेदन निरस्त होने के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे.

(xi) चयनित उम्मीदवारों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के किसी भी स्थान पर पदस्थापित किये जा सकेंगे.

(xii) चयन पूर्णतः योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा. यदि एक से अधिक खिलाड़ी सामान अंक प्राप्त करते हैं तो उनमें से नवयुवा **(कम उम्र वाले)** उम्मीदवार को **प्राथमिकता दिया जाएगा.**

(xiii) वैसे खिलाड़ी जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेलकूद संघ की टीम में उपयुक्त हो सकते हैं वैसे खिलाड़ी पर हीं विचार किया जाएगा।

(xiv) रेल प्रशासन भर्ती की किसी भी सोपान को परिवर्तन करने या भर्ती प्रक्रिया के किसी हिस्से या संपूर्ण को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखता है.

(xv) खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किये गये खिलाड़ियों की सेवा को उस स्थिति में समाप्त कर दिया जाएगा जब उनके द्वारा किसी भी अवस्था में भर्ती के लिए प्रस्तुत किये गये किसी सूचना और दस्तावेज में गलत/नकली पाया जाता है.

(xvi) खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किये गये खिलाड़ियों **को** 5 साल की अवधि के लिए "सेवा बॉंड (बंधपत्र) निष्पादित करना होगा .

(xvii) खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किये गये खिलाड़ी 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन में रहेंगे. प्राबेशन अवधि की समाप्ति के पूर्व खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी .

(xviii) उच्च वेतन मैट्रिक्स स्तर (ग्रेड पे) हेतु खेल संबंधी योग्यता रखने वाले खिलाड़ी जो कम वेतन मैट्रिक्स के रिक्तियों के लिए आवेदन दिया हैं, को केवल उसी पे मैट्रिक्स लेवल के अंतर्गत भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है. ऐसे मामलों में खिलाड़ियों को यह वचनबंध निषपादित कर देना होगा कि वह रेलवे में ज्वाइन करने के बाद, रेलवे में भर्ती होने से पहले अर्जित की गई खेल उपलब्धियों के आधार पर रेलवे में शामिल होने के बाद उच्च वेतन स्तर के लिए दावा नहीं करेगा.

(xix) चयन के संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा. अचयनित उम्मीदवार के किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. किसी भी रूप में **किसी भी प्रकार का दबाव बनाना** उम्मीदवार की अयोग्यता मानी जाएगी.

(xx) कानूनी क्षेत्राधिकारः किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद होने पर केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण जबलपुर होगा।

(xxi) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in.का अवलोकन कर सकते हैं. **साथ ही यह सलाह दी जाती है कि समय–समय पर अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट को देखते रहें।**

7. किसे / **कैसे** आवेदन करें :

सिर्फ ऑनलाईन आवेदन मान्य होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वेबसाईट में वर्णित निर्देशों के तहत दर्शाया गया "HOW TO APPLY" **का अनुपालन करें** (www.secr.indianrailways.gov.in → Recruitment→RRC Bilaspur→Sports Quota).

8. अनुलग्नक **(अपलोड करना अनिवार्य है)** :

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के समय उम्मीदवार को चाहिए कि वे अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें अर्थात इसमें अपिव प्रमाणपत्र (अनुलग्नक ए) तथा अपिव घोषणा पत्र (अनुलग्नक **बी**), अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक **सी**) अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय घोषणापत्र (अनुलग्नक **डी**) ईबीसी प्रमाणपत्र के लिए प्रपत्र (अनुलग्नक ई), वर्ष 2017– 2018 से 2019–2020 के दौरान अर्जित विभिन्न स्तरों के खेलकूद उपलब्धियों के प्रमाणपत्र, उम्मीदवार का पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो शामिल है.

9. **अमान्य आवेदन:**

निम्नलिखित में से कोई भी कमियां / विसंगति / अनियमितता होने पर आवेदन को सरसरी तौर पर **निरस्त** कर दिया जाएगा:

i) उचित तरीके से स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना आवेदन। (श्वेत श्याम फोटो, साइड पोस्चर वाली फोटो, या धूप का चश्मा या टोपी **के साथ वाली फोटो**) फोटो सफेद पृष्ठभूमि में और 80% चेहरे के साथ होना चाहिए.

ii) निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, खेल उपलब्धियों, जाति प्रमाण पत्र (अपिव / अजा / अजजा / अपिव घोषणा) के संबंध में उचित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन.

iii) उम्मीदवारों के पास अधिसूचना की तिथि पर अपेक्षित शिक्षा और खेल उपलब्धियां होनी चाहिए

iv) एक इवेंट के लिए एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन.

v) हाथ से भेजे गए आवेदन; (ऑनलाइन जमा नहीं किया गया) .

vi) कोई अन्य कथित अनियमितता.

अधिसूचना में किसी भी तरह की विसंगती पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में जारी अधिसूचना मान्य होगा।

उमा शंकर

सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

अनुलग्नक 'ए'

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती /कुमारी ....सुपुत्र / सुपुत्री ....गाँव /शहर ....जिला /मंडल ....राज्य /संघ राज्य क्षेत्र ....समुदाय से संबंध रखता है , जिसे भारत सरकार , सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ....दिनांक ....* के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप मे मान्यता प्राप्त है ।

श्री /श्रीमती /कुमारी*..और /अथवा उसका परिवार ....

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के ....जिला /मंडल ....मे सामान्यतः निवास करता /करती है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93--स्थापना (एससीटी),दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 मे वर्णित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमीलेयर) और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना (आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017** द्वारा आशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है ।

दिनांक :

जिला मजिस्ट्रेट / उप.आयुक्त आदि

(मुहर)

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का व्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है ।

**समय समय पर यथा संशोधित ।

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए गए पद "सामान्यत:" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा ।

अनुलग्नक 'बी'

घोषणा

स्पोर्ट्स कोटा 2019-20 की अधिसूचना में जारी पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

"मैं .... सुपुत्र / सुपुत्री ....

श्री.. गाँव /शहर.................................जिला ....

राज्य ....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं.........................समुदाय (अपनी उप-जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93--स्थापना (एससीटी), दिनांक 8.9.1993 में अंतर्विष्ट आदेशो के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रुप मे मान्यता प्रदान की गई है । यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.03.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना (आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कॉलम 3 मे उल्लिखित व्यक्तियों /वर्गो (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ ।

स्थान : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक : उम्मीदवार का नाम

अनुलग्नक 'सी'

अजा/अजजा के लिए जाति प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/श्रीमती/कुमारी* .... सुपुत्र/सुपुत्री* .... गाँव/शहर ..../जिला/मंडल* ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... जाति*/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है :-

- संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]

- संविधान (जम्मू व कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह)* अनुसूचित जाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, 'संविधान (दादर व नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
- संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962.
- संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
- संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1960
- संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम,1991
- संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम,1996
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।
   यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती* ....पिता/माता* ....के श्री/श्रीमती/कुमारी.................निवासी..................... गाँव/शहर* ..../जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ....को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो........................जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक .... से मान्यता प्राप्त है।
3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/अथवा* उसका* परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.................के ....जिला/मंडल* .... गाँव/शहर* में सामान्यत: निवास करता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.............

•जो लागू नहीं है, कृप्या उसे काट दें।

@ कृप्या विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

टिप्पणी: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "समान्यत: निवास" का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त । (2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों । (4) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है । (5) केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (6) प्रशासक/ प्रशासक के सचिव (लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी दीप)।

15/01/12

अनुलग्नक 'डी'

घोषणा

स्पोर्ट्स कोटा 2019-20 की अधिसूचना में जारी पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय जमा कराए जाने वाला परीक्षा शुल्क से छूट की घोषणा का प्रपत्र

''मैं .... सुपुत्र / सुपुत्री श्री ....

निवासी गाँव /शहर/नगर ....जिला ....राज्य ....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं ....(केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाए यथा मुस्लिम /सिख /ईसाई /बौद्ध/ जोरोस्ट्रियन (पारसी) से संबद्ध / रखता हूँ /रखती हूँ

तारीख: उम्मीदवार के हस्ताक्षर:

स्थान: उम्मीदवार का नाम:

नोट : परीक्षा फीस की छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात मुस्लिम /सिख /ईसाई /बौद्ध/ जोरोस्ट्रियन (पारसी) के अंतर्गत आता हैं ।

अनुलग्नक 'ई'

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाण पत्र

स्पोर्ट्स कोटा 2019-20 की अधिसूचना में जारी पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले आर्थिक रुप से पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क की छूट घोषणा का प्रारूप

1. उम्मीदवार का नाम : --

2. पिता का नाम :--

3. आयु :--

4. आवासीय पता :--

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में):--

दिनांक :

हस्ताक्षर:

नामः

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर:

नोट : आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय रु. 50000/- रूपए से कम है । आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग की पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत है :

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर से ऊपर का राजस्व अधिकारी (2)लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए (3)किसी गरीब उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र या रेल्वे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी (4)केंद्रीयमंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष / रेल्वे भर्ती बोर्ड को सिफारिश कर सकता है (5)उस जिले के व्यक्तियों के लिए, जहाँ राज्य सभा का वर्तमान सदस्य सामान्यतः निवास करता है ।